कार्यालयः रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः फा.50(34)सविरा/बैंक–3/2011/ऑडिट विविध दिनांकः 19/05/17

प्रबंध निदेशक,
राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि.,
जयपुर।

प्रबंध निदेशक,
केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.
.....(समस्त)

विषयः–केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान अर्जित उपलब्धियों की समीक्षा एवं वर्ष 2017–18 के लिए भावी कार्यक्रम निर्धारण हेतु माननीय सहकारिता मंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 12.04.2017 के दौरान दिये गये निर्देशों की अनुपालना के संबंध में।

प्रसंगः–शीर्ष बैंक का पत्र क्रमांक आरएससीबी/आ.वि./2017–18/745–779 दिनांक 26.04.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक बैठक में समितियों में विद्यमान असन्तुलन पर चर्चा के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि दिनांक 31.03.2016 को 1152 समितियों (पैक्स) में रूपये 246.58 करोड का असन्तुलन था जिसमें निरन्तर वृद्वि होना चिन्ताजनक है। असन्तुलन में वृद्वि के प्रमुख कारणों में समिति धनराशि का गबन व दुरूपयोग, वेतन व भत्ते मनमर्जी से प्राप्त करना तथा अनियन्त्रित खर्चे आदि है।

उक्त स्थिति को गम्भीरता से लेते हुए असन्तुलन को रोकने के लिए कारगार कार्यवाही की नितान्त आवश्यकता बताई गई है। राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में बडी मात्रा में असन्तुलन की राशि का प्रभाव इन समितियों एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों पर प्रदर्शित होने के फलस्वरूप ऐसे विकल्पों पर अमल किया जावे, जो कि इन समितियों की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक हो। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये हैः–

1. असन्तुलन में चल रही समितियों का ऑडिट विभागीय निरीक्षकों से कराया जावे व इन समितियों का वार्षिक निरीक्षण सुनिश्चित करें। समिति व्यवसाय में विविधिकरण लाया जावे। समिति संचालक मण्डल की समय–समय पर बैठकें आयोजित कर समिति व्यवसाय व खर्चों के बारे में चर्चा की जावे।
2. पैक्स में असन्तुलन होने की स्थिति में बैंक सर्वप्रथम गबन/निधियों के डाइवर्जन के रूप में हुए असन्तुलन को चिन्हित कर समितियों में विद्यमान असन्तुलन की जांच पृथक से करावें एवं असन्तुलन वाली समितियों की सूची शीर्ष सहकारी बैंक को प्रेषित करें।
3. जांच हेतु ऋण पर्यवेक्षक, बैंक व अन्य बैंक अधिकारी को नियुक्त कर प्राथमिकता के आधार पर करवायी जावे। जिले में कार्यरत उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के कार्यालय में पदस्थापित निरीक्षकों का सहयोग भी इस हेतु लिया जा सकता है।
4. असन्तुलन को देर करने के संबंध में विभाग स्तर से समय–समय पर जारी हुए निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जाये।

अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।

भवदीय,

-Sd-
(राजीव लोचन)
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग)

क्रमांकः फा.50(34)सविरा/बैंक–3/2011/ऑडिट विविध दिनांकः 19/05/17

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां,.....खण्ड.....(समस्त)
2. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां,..... (समस्त)
3. प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

374
19/05

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग)